Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में जे.वी.वी.एन.एल. के तकनीकी सहायक को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी बूंदी इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये कार्यालय सहायक अभियन्ता, जे.वी.वी.एन.एल. करवर, बूंदी के तकनीकी सहायक मस्तराम मीणा को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विद्युत कनेक्शनों के बिल जारी करने एवं न्यूनतम राशि में निपटारा करने की एवज में मस्तराम मीणा तकनीकी सहायक (लाइनमैन) कार्यालय सहायक अभियन्ता, जे.वी.वी.एन.एल. करवर, बूंदी द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की **बूंदी** इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा बूंदी में ट्रेप कार्यवाही करते हुये मस्तराम मीणा पुत्र श्री जमनालाल मीणा निवासी करवाला की झोंपडियां, थाना गेण्डोली, जिला बूंदी हाल तकनीकी सहायक (लाइनमैन) कार्यालय सहायक अभियन्ता, जे.वी.वी.एन.एल. करवर, बूंदी को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।